


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ

रीवा संभाग रीवा म0प्र0

रु. 30/-



R5473-II 116

- 1- कालिका तनय रामलाल माली उम्र 90 वर्ष
- 2- गपुवा तनय श्री कलुआ खटिक उम्र 70 वर्ष
- 3- जौहरिया तनय श्री कलुआ खटिक उम्र 65 वर्ष
- 4- नथू तनय भोला खटिक उम्र 40 वर्ष

सभी निवासी ग्राम पोस्ट पाथरकछार वृत्त बरौंधा तहसील
मझगवां जिला सतना म0प्र0.....निगराकारण

बनाम

- 1- मंदिर रामराय जी सर्वराहकार माधवदास चेला मनोहर दास
निवासी पाथरकछार तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0
- 2- चुलबुलिया तनय कलुआ खटिक उम्र 75 वर्ष निवासी
पाथरकछार वृत्त बरौंधा तहसील मझगवां जिला सतना
म0प्र0.....गैरनिगराकारण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक

10-08-2016 प्रकरण क्रमांक

1अ70/15-16 न्याय0 तहसीलदार

तहसील मझगवां वृत्त बरौंधा

जिला सतना म0प्र0।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1)

म0प्र0भू०रा०सं० 1959

मान्यवर,

प्रार्थी/निगराकारण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर

विनयी है कि:-



क्रमशः...

पोलिका गांव



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक निगो / 5473-II / 16

जिला-सतना

कालिका वगैरे/ मंदिर रामराय जी सर्वराहकार

(1)	(2)
18.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रामानन्द मिश्र अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त बरौंधा, तहसील मझगांव, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10.08.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 